[To be published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii)]

3

Government of India Ministry of Corporate Affairs Notification

New Delhi, the .2.J. December, 2020

SI. No.	Sections
1.	Section 1;
2.	Section 3;
3.	Sections 6 to 10 (both inclusive);
4.	Sections 12 to 17 (both inclusive);
5.	Clauses (a) and (b) of section 18;
6.	Sections 19 to 21 (both inclusive);
7.	Clause (i) of section 22;
8.	Section 24;
9.	Section 26;
10.	Sections 28 to 31 (both inclusive);
11.	Sections 33 to 39 (both inclusive);
12.	Sections 41 to 44 (both inclusive);
13.	Sections 46 to 51 (both inclusive);
14.	Section 54;

Section 57;	
Section 61; and	
Section 63.	
	Section 61; and

[File No. 1 /3 /2020-CL.I] K.V.R. Murty² 1/12-22 20 Joint Secretary to the Government of India

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2 खंड 3 उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ] भारत सरकार कारपोरेट कार्य मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली 21 दिसम्बर, 2020

का.आ...... (अ) केन्द्रीय सरकार, कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 2020 (2020 का 29) की धारा 1 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 2.\ दिसम्बर 2020 को उस तारीख के रूप में नियत करती है जिसको उक्त अधिनियम के निम्नलिखित उपबंध प्रवृत होंगे, अर्थात् :-

क्र.सं.	धाराएं
1.	धारा 1;
2.	धारा 3;
3.	धाराएं 6 से 10 (दोनों सम्मिलित);
4.	धाराएं 12 से 17 (दोनों सम्मिलित);
5.	धारा 18 के खंड (क) और (ख);
6.	धाराएं 19 से 21 (दोनों सम्मिलित);
7.	धारा 22 का खंड (i);
8.	धारा 24;
9.	धारा 26;
10	धाराएं 28 से 31 (दोनों सम्मिलित);
11.	धाराएं 33 से 39 (दोनों सम्मिलित);
12.	धाराएं 41 से 44 (दोनों सम्मिलित);
13.	धाराएं 46 से 51 (दोनों सम्मिलित);
14.	धारा 54;
15.	धारा 57;
16.	धारा 61; और
17.	धारा 63 ।